

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

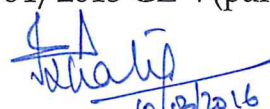
Notification

New Delhi, 10th March, 2016

G.S.R.....(E). - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in rule 17, in sub-rule (1), in clause (n), after sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that where the audited accounts are more than six months old, the calculations with reference to buy back shall be on the basis of un-audited accounts not older than six months from the date of offer document which are subjected to limited review by the auditors of the company."

[F. No. 01/04/2013 CL-V(part-II)]


(Amardeep Singh Bhatia)

 Joint Secretary to the Government of India

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 265(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notifications as detailed below:-

Sl.No	Notification number	Date
1.	G.S.R. 413 (E)	18.06.2014
2.	G.S.R. 210 (E)	18.03.2015
3.	G.S.R. 439 (E)	29.05.2015
4.	G.S.R. 841(E)	06.11.2015

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 10 मार्च, 2016

सा.का.नि. (अ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयरपूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयरपूँजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2016 है।

(ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयरपूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17 के उपनियम (1) के खंड (द) के उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु जहां संपरीक्षित खाता छः माह से अधिक पुराना है उन मामलों में पुनः खरीद के संदर्भ में गणना प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से पूर्व के छः मास से अन्यून अवधि के गैर-संपरीक्षित खातों के आधार पर की जाएगी जिनका कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित पुनर्विलोकन किया जाएगा।”।

[फा.सं. 1/4/2013-सीएल-V (पार्ट-II)]

अमरदीप सिंह
10/03/2016
/L अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 265(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे -

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	तारीख
1	सा.का.नि.413(अ)	18.06.2014
2	सा.का.नि.210(अ)	18.03.2015
3	सा.का.नि.439(अ)	29.05.2015
4	सा.का.नि.841(अ)	06.11.2015